

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 540]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—आश्विन 18, शक 1939

### लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निमानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
-----------	------------	------------------------	--	---------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------

2.32 संचिदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक को पंजीयन प्रदान किया जाना।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस.	उप श्रम आयुक्त	45 कार्य दिवस.	अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.
---	------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राब, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इक्सट-लोसेप्र-पी.एस.जी.-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्रधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील प्रधिकारी का पदनाम (6)	द्वितीय अपील एवं आवास (7)
5.9	ट्रेड लाइसेंस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् धोत्र के लिए,	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.	
		आयुक्त, नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका निगम धोत्र के लिए,	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.	
5.10	नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण (वृक्षों को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसके व्यय) की अनुज्ञा अधिप्राप्त करना.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् धोत्र के लिए,	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.	
		वृक्ष अधिकारी नगर पालिका निगम धोत्र के लिए	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.11 नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण नियम में अनुमति प्राप्त बनोपजे के लिये अभिवहन पास.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.	
	वृक्ष अधिकारी नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिंजन राव, सचिव,